

जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी (मोप्र०)

स्टेशनरी एवं फोटोकापी के संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नवीन जिला न्यायालय भवन, डिण्डौरी के सर्विस बिल्डिंग के कक्ष कमांक एस-४ में स्थित स्टेशनरी एवं फोटोकापी की दुकान चलाने हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी के कार्यालय अनुभाग में उपलब्ध है, इच्छुक संस्थाएं/ व्यक्तियों/कंपनियां अपना निविदा फार्म 250/- रूपये नगद कार्यालय में जमा कर अथवा डीडी के माध्यम से कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में कार्यालयीन समय पर आवक/ जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। उपरोक्त निविदायें दिनांक 16.07.2020 से दिनांक 31.07.2020 को शाम 5.00 बजे तक भरकर कार्यालय में जमा किया जाना है, प्राप्त निविदायें दिनांक 05.08.2020 को निविदाकार्ता/प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में दोपहर 2.00 बजे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा फार्म, निविदा की शर्तों एवं संपूर्ण जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय डिण्डौरी की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/dindori पर भी उपलब्ध है, जहां से उपरोक्त निविदा फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। निविदाकर्ता के द्वारा डाउनलोड निविदा फार्म भरकर सील बंद लिफाफे में जिला न्यायाधीश डिण्डौरी को देय 250/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला-डिण्डौरी
१५.७.२०२०

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म.प्र.)

स्टेशनरी/फोटोकापी के संचालन हेतु निविदा फार्म:-

प्रथम पक्ष :- निविदाकर्ता का नाम.....

पिता का नाम

पता

मोबाईल नं0

ई-मेल आई.डी

प्रस्तावित अनुबंध राशि

अनुज्ञाप्तिदाता :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी।

स्टेशनरी/फोटोकापी संचालन का स्थान:- नवीन जिला न्यायालय
भवन डिण्डौरी के
सर्विस बिल्डिंग के
कक्ष क्रमांक एस-4

निविदा के नियम एवं शर्तें:-

- 01.** निविदा को बंद लिफाफे में आमंत्रित किया जाएगा जिसमें तकनीकी वाणिज्यिक तथा निविदा की कीमत का उल्लेख होना चाहिए, निविदा का उल्लेख एक बंद लिफाफे में नवीन न्यायालय भवन डिण्डौरी की सर्विस बिल्डिंग में स्थित कक्ष क्रमांक एस-4 के क्षेत्रफल 22.77 वर्ग मीटर में स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी की दुकान चलाने के लिए होगी।
- 02.** अनुज्ञाप्तिधारक को शासकीय/ अर्द्ध शासकीय संगठन या लोक/व्यक्तिगत संस्था अस्पताल आदि में स्टेशनरी की दुकान चलाने एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने की सेवा का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए जिसका दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए।
- 03.** उपरोक्त निविदा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी के नाम से प्रस्तावित की जाएगी और निविदा कार्यालय जिला न्यायाधीश डिण्डौरी में दिनांक 31.07.2020 को सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत की जाएगी। निविदा में उन सुविधाओं /वस्तुएं व सामग्री का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जो दुकान के माध्यम से सेवाओं के रूप में उपलब्ध करवाई जावेगी, निविदा से भिन्न वस्तुएं /सामग्री को उक्त निविदा में बताई गई सेवाओं में सम्मिलित नहीं माना जाएगा और न ही पूर्व अनुमति के बिना बेचा या प्रदाय किया जावेगा।
- 04.** अनुज्ञाप्तिधारक एवं अनुज्ञाप्तिधारा के मध्य अनुबंध एक वर्ष के लिये संपादित किया जाएगा, अनुज्ञाप्ति की अवधि के समाप्त होने पर या उसके पहले संविदा को छोड़ने पर अनुज्ञाप्तिधारी के द्वारा अनुज्ञाप्तिधारा को शांतिपूर्ण रूप से स्थान का खाली कब्जा उसी हालत में, जिस हालत में उसे अनुज्ञाप्तिधारा के द्वारा मिला था, सामान्य टूट-फूट के अध्याधीन रहते हुये, सौंपा जाएगा।
- 05.** संविदा के समाप्त होने पर अनुज्ञाप्तिधारी के द्वारा परिसर में कब्जे को अतिचारी के रूप में माना जायेगा और अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा क्षतिपूर्ति या हर्जाने का भुगतान लिया जावेगा और जिला न्यायाधीश डिण्डौरी या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा सूचना दिये बिना अनुज्ञाप्तिधारी से परिसर का कब्जा लिया जा सकता है।
- 06.** अनुबंध अनुसार स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर केंटीन समिति की अनुशंसा पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है, इस हेतु अनुज्ञाप्तिधारी के द्वारा अधिकतम बोली की राशि जो निर्धारित की गई है उस राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एक मुश्त जमा करना होगा और प्रतिमाह के किराये में भी 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किराया भुगतान करना होगा।

07. स्टेशनरी एवं फोटोकापी के संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) संभाग डिप्डौरी के द्वारा निर्धारित वार्षिक किराया के आधार पर न्यूनतम 26600/- (छब्बीस हजार छः सौ रुपये) अनुज्ञा शुल्क निर्धारित किया गया है। आमंत्रित निविदाओं के माध्यम से वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के रूप में लगाई उच्चतम निविदा को अन्य शर्तों के साथ स्वीकार किया जाएगा।

08. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ 10000/- रुपये की जमानत राशि जिला न्यायाधीश डिप्डौरी को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा। जमानत राशि जमा न किये जाने पर निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा और सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त जमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा जिस पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

09. सफल निविदाकर्ता की जमानत राशि अनुज्ञप्तिधारक और जिला रजिस्ट्रार डिप्डौरी के नाम से संयुक्त बैंक एफ.डी. अमानत के रूप में रखी जायेगी और अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर कैटीन समिति की अनुशंसा पर सम्पूर्णता की जायेगी।

10. अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारक को वापस की जावेगी और एफ.डी.आर. पर अर्जित बैंक ब्याज अनुज्ञप्तिधारक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

11. अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा अधिकतम अनुज्ञा शुल्क के आधार पर निर्धारित मासिक किराया प्रत्येक माह के 7वें दिन तक उस माह का किराया जमा कराया जायेगा। अनुज्ञप्ति धारक को दुकान का कब्जा लेने के समय तीन माह का दुकान का भाड़ा अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा।

12. सफल निविदाकर्ता/अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय पर निष्पादन कराकर पंजीयन करायेगा।

13. अनुज्ञप्तिधारक नगरपालिका एवं अन्य समक्ष प्राधिकारी से दुकान चलाने के लिए विधिक प्रमाण पत्र /अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।

14. अनुज्ञप्तिधारक को दुकान से लगे हुए खुले स्थान पर कोई अधिकार नहीं होगा।

15. अनुज्ञप्तिधारक/विकेता द्वारा वास्तविक दरों के अनुसार बिजली शुल्क का भुगतान प्रचलित दरों पर किया जाएगा या ऐसे उच्चतम दर पर देय होगा जो समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जाएगी।

16. अनुज्ञापिधारी को विलम्ब से किराया चुकाने, अस्वच्छता और परिसर साफ सुधरा न होने पर प्रत्येक दिवस का 100/- (एक सौ रुपये) और एक महीने का अधिकतम 2500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये) राशि चुकाना होगा।

17. अनुज्ञापिधारी को दुकान उपकिराये पर देने का अधिकार नहीं होगा और न ही वह किसी व्यक्ति को चलाने के लिए प्राधिकृत करेगा या दुकान सौंपेगा।

18. अनुज्ञापिधारक दुकान को हर समय एकदम साफ एवं स्वच्छ अवस्था में रखने के लिए उत्तरदायी होगा और समक्ष प्राधिकारी या जिला न्यायाधीश के द्वारा अधिरोपित सभी जुर्माना/चालान चुकाने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

19. अनुज्ञापिधारक को दुकान के परिसर के विशेष व्यवसाय में माना जाएगा और अनुज्ञापिधारक को दुकान एवं उसके परिसर में कार्य के घटों के दौरान प्रवेश करने का अधिकार होगा।

20. अनुज्ञापिधारक के द्वारा उपयोग की जाने वाली और बेचने वाले सामग्री की गुणवत्ता अच्छी/प्रमाणिक गुणवत्ता की होनी चाहिए, जिसकी समय-समय पर जॉच की जाएगी और यदि असंतोषजनक पाया जाता है तो बिना पूर्व सूचना एवं बिना कारण बताये जिला न्यायाधीश के द्वारा किसी भी समय पर लायसेंस निरस्त किया जा सकता है। जिला न्यायाधीश डिण्डौरी यदि आवश्यक समझते हैं तो उनके द्वारा अनुज्ञापिधारक को नोटिस दिये बिना भी उन्हें जुर्माने अधिरोपित करने के सभी अधिकार होंगे।

21. अनुज्ञापिधारक को दुकान में बेचे जाने वाली सामग्री और उनके दरों और प्रदान किये जाने वाली सेवायें को स्पष्ट करना होगा, जिसकी सूची निविदा दस्तावेजों के साथ अनुज्ञापिधारक के द्वारा संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

22. अनुज्ञापिधारी आवश्यक रूप से जिला न्यायाधीश डिण्डौरी को कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायेगा और दुकान के कर्मचारियों के व्यवहार/आचरण के लिए पूरी तरह से अनुज्ञापिधारक उत्तरदायी होगा।

23. अनुज्ञापिधारक सिर्फ उस व्यापार के लिए उपयोग किया जाएगा जो कि निविदा दस्तावेज में उल्लेखित है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के पूर्व लिखित अनुमति के बिना अनुज्ञापिधारक एवं उसका कोई भी कर्मचारी या व्यक्ति रात्रि के समय दुकान में रुकने एवं काम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

24. अनुज्ञप्ति धारक को प्रत्येक स्थिति में समय पर उचित दर पर सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। अनुज्ञप्ति धारक को दुकान में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्थायें करनी होगी जो जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा अपेक्षित की जायेगी।

25. अनुज्ञप्तिधारक स्टेशनरी एवं फोटोकापी की दुकान में स्वयं के व्यय पर फोटोकापी मशीन स्थापित करेगा जिसके रख-रखाव का व्यय भी वही वहन करेगा।

25. अनुज्ञप्ति धारक परिसर को अच्छी अवस्था में बनाए रखेगा और कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, यदि दुकान एवं परिसर को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो उक्त क्षति या तो सही करके या क्षतिपूर्ति देकर अनुज्ञप्ति धारक के द्वारा अपने खर्च पर सुधारेगा, जो कि अनुज्ञप्तिदाता द्वारा निर्धारित किया जाए।

26. अनुज्ञप्ति धारक या उसके कर्मचारी की उपेक्षा/लापरवाही या किसी प्राकृतिक आपदा के द्वारा कारित हानि और क्षति के लिए अनुज्ञप्तिदाता उत्तरदायी नहीं होगा।

27. अनुज्ञप्ति धारक उपभोक्ताओं व स्टॉफ को किसी भी प्रकार का व्यवधान व बाधा कारित नहीं करेगा।

28. अनुज्ञप्तिधारक दुकान में अग्नि नियामकों के अनुसार अग्निशामक उपकरण स्थापित करेगा और परिसर को अग्नि, चोरी, स्वयं या अपने कर्मचारी की लापरवाही से किसी सम्पत्ति या कर्मचारी को होने वाले किसी प्रकार की क्षति या नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा, उक्त क्षति या नुकसान की भरपाई अनुज्ञप्तिधारक स्वयं अपने खर्च पर करेगा एवं कानूनी कार्यवाही के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

29. अनुज्ञप्तिधारक उक्त परिसर में किसी भी प्रकार का बदलाव, स्थानांतरण या बनावट में कोई छेड़-छाड़ परिवर्तन नहीं करेगा। मात्र वह परिवर्तन व बदलाव या स्थानांतरण जो कि आवश्यक है और स्थाई प्रकृति के न हो जिला न्यायाधीश डिण्डौरी की पूर्व अनुमति अथवा अनुमोदन से कर सकता है।

30. प्रत्येक कार्य दिवस पर दुकान का समय 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगा या जैसा कि जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा निर्देशित किया जाए, अवकाश दिवस पर दुकान के खुलने का समय वह होगा जैसा कि जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित किया जायेगा।

31. दुकान खुलने के पश्चात् संबंधित कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्य उक्त दुकान में जाकर वस्तुओं व सेवाओं के प्रकार एवं टेंडर अनुसार उनके मूल्यों तथा अनुज्ञप्ति धारक के कार्य के अनुभवों का निरीक्षण कर सकेंगे।

32. अनुज्ञप्तिदाता / जिला न्यायाधीश डिप्टी द्वारा दुकान के संबंध में लिये गए निर्णय अंतिम व अनुज्ञप्तिधारक पर बाध्यकारी होंगे।

33. अनुज्ञप्तिदाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के पास यह अधिकार होगा कि वह दुकान का किसी भी समय निरीक्षण कर यह सत्यापित व सुनिश्चित कर सके कि, अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उस दुकान का नियमानुसार उपयोग किया जा रहा है या नहीं।

34. अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी दोनों चाहे तो संविदा को किसी भी समय एक महीने के पूर्व सूचना देने के उपरांत छोड़ सकते हैं।

35. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक शिकायत पंजी रखी जावेगी, उक्त शिकायत पंजी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराया जावेगा जो शिकायत करने के लिए इच्छुक है शिकायत पंजी का निरीक्षण जिला न्यायाधीश या उनके द्वारा अधिकृत कार्यालय / व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

36. निविदा दिनांक 05.08.2020 को दोपहर 02.00 बजे निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिप्टी के कार्यालय में गठित सभिति के समक्ष खोला जायेगा, यदि किसी कारण से उक्त दिवस पर निविदा नहीं खुल पायी तो अगले कार्य दिवस पर उपरोक्त समय व स्थान पर निविदा खोला जावेगा।

“ मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार है । ”

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

निविदाकर्ता का पूरा नाम

पिता का नाम.....

पता:-

फोन नंबर / मोबाइल नंबर.....

ई-मेल आईडी

//मध्यस्थता//

1. संविदा में अन्यथा संबंधित के सिवाय उर्पयुक्त बताये गये निर्देशों के संबंध में सभी प्रश्न व विवाद, कार्य की गुणवत्ता, प्रयोग किये जाने वाली सामग्री, संविदा से संबंधित अथवा उत्पन्न हो रहे कोई अन्य प्रश्न, अधिकार, दावा, निर्देश, आदेश या उर्पयुक्त बताये गये निर्देशों के संबंध में या अन्यथा कार्य से संबंधित, या उस कार्य का सम्पादन अथवा उसमें विफल होना, जो कि कार्य की प्रगति के दौरान या कार्य समाप्ति या उसे त्याग देने पश्चात् उत्पन्न हुये हों, एकमात्र मध्यस्थ को निर्दिष्ट किये जायेगें, जो कि जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

02. मध्यस्थ के द्वारा किसी विवाद या मामले के संबंध में उसके कर्तव्यों के अनुक्रम में दिये गये सुझाव या राय के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं ली जावेगी, यदि संबंधित विवाद जो कि संविदा से संबंधित है।

03. वह मध्यस्थ जिसे प्रारंभ में कोई मामला रिफर किया गया था यदि स्थानांतरित हो जाता है या पद रिक्त हो जाता है, या किसी अन्य कारण से वह काम नहीं कर सकता है ऐसी स्थिति में अनुज्ञाप्तिदाता जिसके द्वारा ऐसा मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, किसी अन्य व्यक्ति को संविदा के शर्तों के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त कर सकेगा, ऐसा व्यक्ति रिफर किये गये मामले में उसी प्रक्रम से कार्यवाही करने के लिए सक्षम होंगे, जिस प्रक्रम पर रिफर किया गया मामला भूतपूर्व मध्यस्थ के द्वारा छोड़ा गया था।

4. यह भी संविदा की एक शर्त होगी कि, पूर्वाक्त अनुज्ञाप्तिदाता के द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा, यदि अनुज्ञाप्तिदाता के द्वारा ऐसा मध्यस्थ नियुक्त किया जाना संभव नहीं है, तब वह मामला मध्यस्थ को रिफर नहीं किया जा सकेगा।

अनुज्ञाप्ति धारक का नाम

पता

फोन नम्बर

ई-मेल

संविदा

(ई-स्टेम्प कोड.....)

यह संविदा दिनांक को जिला न्यायाधीश डिण्डौरी जिन्हे एतस्मिन पश्चात् जिला न्यायाधीश के नाम से तथा जब तक अन्यथा प्रतिकूल उपबंधित न कर दिया जाये, तब तक उनके कार्यालय के उत्तराधिकारी, जो कि जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के हैसियत से कार्य करते हैं जिन्हे एतस्मिन पश्चात् “अनुज्ञप्तिदाता” के नाम से संबोधित किया जावेगा तथा जिसमें उनके उत्तराधिकारी सम्मिलित माने जावेंगे जो प्रथम पक्ष के रूप में होंगे।

और

(अभिकरण/अनुज्ञप्ति धारक का नाम तथा पता एवं उसके प्रतिनिधि का नाम तथा पद) जिसे एतस्मिन पश्चात् सर्विस प्रोवाईडर के नाम से संबोधित किया जावेगा, जिसमें उनके उत्तराधिकारी सम्मिलित माने जायेंगे, जो द्वितीय पक्ष के रूप में होंगे।

जहां अनुज्ञप्तिदाता का आशय यह है कि नवीन न्यायालय भवन जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के सर्विस बिल्डिंग में स्टेशनरी एवं फोटोकापी की दुकान संचालित किया जावे, जहां सर्विस प्रोवाईडर ने स्वेच्छा से अपनी सहमति इस हेतु संविदा के उपबंधों के अनुरूप दी है और जहां अनुज्ञप्तिदाता ने मूल्य व दर संविदा के शर्तों के अनुरूप तय किये हैं, को मध्य समझी जावेगी।

निम्नलिखित दस्तावेज इस संविदा का भाग माने, पढ़े व समझे जावेंगे।

- a. निविदा प्रारूप (तकनीकी व वित्तीय) और कीमत सूची जो कि अनुज्ञप्ति धारक के द्वारा जमा की जावेगी।
- b. सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज।
- c. स्पष्टीकरण जो कि इस संबंध में जारी किये गये हैं।
- d. सर्विस प्रोवाईडर के मध्यस्थ की अधिसूचना।

e. सहमति पत्र।

f. सम्पूर्ण पत्राचार जो इस संबंध में किये गये हों।

अब यह संविदा :-

1. संविदा में सम्मिलित नियम व शर्त संविदा का भाग माने पढ़े एवं समझे जावेंगे।
2. सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जिला न्यायालय को किये गये भुगतान के एवज में सर्विस प्रोवाइडर जिला न्यायालय डिण्डौरी को "स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी की दुकान चलाने "की सेवाएं प्रदान करने और संविदा के नियम एवं शर्तों के अनुरूप आवश्यक शुल्क और रकम का भुगतान करने के लिए सहमत है।
3. यह कि उस परिस्थिति में जहां कोई विवाद उत्पन्न होता है तब ऐसा विवाद संविदा के नियम व शर्तों के अनुरूप निराकृत किया जावेगा।
4. किसी भी दशा में किराया हर माह की 7 तारीख तक जमा किया जावेगा।
5. यह संविदा दिनांक से तक प्रवृत्त रहेगी, जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकार उनकी सामान्य सील चर्चा करेंगे।

अनुज्ञाप्ति धारक / प्रतिनिधि का नाम व पता

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

निम्नांकित साक्षियों का उपस्थिति में :-

साक्षी

1. नाम

पता

2. नाम

पता

साक्षी

1. नाम

पता

2. नाम

पता